न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 2/2019 (डूंगरपुर आर्डर)

गेबीलाल जैन पिता कोदरलाल जी जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. कोदरलाल जैन पिता हुकमचन्द जी जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
2. केसरीमल पिता कोदरलाल जी जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
3. रमेशचन्द्र पिता कोदरलाल जी जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
4. प्रकाशचन्द्र पिता कोदरलाल जी जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)
5. महेन्द्र कुमार पिता कोदरलाल जी जैन, जाति नागदा, निवासी आसपुर, तहसील आसपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम –1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी, आसपुर
दिनांक 20.02.2019 प्र.सं. 6/2018

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री संजीव भटनागर अभिभाषक रेस्पोन्डेन्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 13–09–2023**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 (2) द.प्र.सं का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आप न्यायलय द्वारा दोनों पक्षों को निर्माण कार्य नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने के बावजूद आसपुरी संख्या 1154 एवं 1156/1 में विपक्षीगण द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है। विपक्षीगण द्वारा न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:49 IST
Reason: SelfAttested

आदेश की पालना नहीं की जा रही है। अतः विपक्षीगण द्वारा अवमानना का आपराधिक कृत्य कारित करते हुए उसकी सम्पत्ति कुर्क की जावे तथा सिविल कारावास की सजा दी जाकर प्रार्थी को प्रतिकार के रूप में रूपये 50000/– दिलाये जावे।

विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर बताया कि उनके द्वारा स्थगन आदेश के दौरान कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 20–02–2019 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्राथी द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 29–03–2019 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया एवं बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार आसपुर को दिनांक 15–06–2018 को पत्र भेजा गया, जिस पर पटवारी हल्का द्वारा मौका देखा गया, जिसमें स्पष्ट पाया गया कि विपक्षीगण द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है तथा स्थगन के उपरान्त निर्माण होना प्रमाणित माना है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा चाहा गया अनुतोष दिलाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के तहसीलदार की मौका रिपार्ट अनुसार अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के मध्य किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:49 IST
Reason: SelfAttested

मानते हुए प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। हमारे समक्ष भी अपीलान्ट ने ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने के दौरान रेस्पोन्डेन्टगण द्वारा विवादित आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण किया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण में निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–02–2019 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13–09–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 11:50:49 IST
Reason: SelfAttested